निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र 1935 (श0)

(सं0 पटना 291) पटना, बुधवार, 10 अप्रील 2013

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

3 अप्रील 2013

सं0 सं0का0–1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)–05–02/2011(पार्ट)–431—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।

(2) यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–10 एवं नियम–17(4) का प्रतिस्थापन। – उक्त नियमावली, 2006 का नियम 10 एवं नियम 17 (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :–

"10. रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। – प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु एक सहयात्री के साथ, प्रथम ए0सी0, द्वितीय ए0सी0, तृतीय ए0सी0 श्रेणी में भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्राओं के लिए, प्रतिवर्ष अधिकतम दो लाख रुपये मूल्य का रेलवे कूपन दिये जायेंगे। सदस्य, कुल 2.00 (दो) लाख रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए, परिवार के सदस्यों के साथ अधिकतम 100000/– (एक लाख) रुपये के हवाई यात्रा के हकदार होंगे।"

"17(4). रेलवे कूपन की सुविधा। — बिहार विधान मण्डल का पूर्व सदस्य एक सहयात्री के साथ प्रथम ए0सी0/ द्वितीय ए0सी0/ तृतीय ए0सी0/ स्लीपर क्लास में प्रत्येक वर्ष 100000/– (एक लाख) रूपये मूल्य के रेल कूपन पर यात्रा करने का हकदार होगाः

परन्तु, वैसे पूर्व सदस्य भी जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हों, रेलवे कूपन पर यथा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार यात्रा के हकदार होंगे:

परन्तु और कि, वे रेलवे कूपन पर की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं करेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ–पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान–सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन–प्राधिकार को देना होगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बृज राज राय,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 291-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in